

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 108/22

तारीख दायर 29/4/22

- 1- देवी पुत्र मोजीराम जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- नोला पुत्र मोजीराम जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- सोला पुत्र मोजीराम जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1- देवीलाल पुत्र शंभुलाल जाति गोस्वामी, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- नवरतन पुत्र रामलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी डोबिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
- 3- भु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एक्ट

—आदेश—

दिनांक

प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण श्री देवी, नोला, सोला अहीत ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील बाकलीवाल प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम तिलस्वां, पटवार क्षेत्र तिलस्वां, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कास्यां, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 115 आराजी नंबर 848/4 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्चु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम तिलस्वां, पटवार क्षेत्र तिलस्वां, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कास्यां, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 115 आराजी नंबर 848/4 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला
बिजौलियाँ